(वाद संख्या–5374/18)

09.02.2021

परिवादी, अनवर हुसैन (सामाजिक कार्यकता) उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला हाजी मोहम्मद आफताब आलम द्वारा मोहल्ला बड़ी संगत, वार्ड नं0–21 एवं 23, नियर साहू धर्मशाला, थाना+जिला–जहानाबाद स्थित अपने मकान में अवैध/अनाधिकृत रूप से ''चंदा आयुर्वेदिक दवाखाना'' संचालित करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निदेशालय, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 14.08.2019 को वांछित प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन का परिवादी अनवर हुसैन (सामाजिक कार्यकर्ता) द्वारा प्रतिवाद किया गया। परिवादी के प्रतिवाद पर पुनः स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निदेशालय, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना द्वारा 24.12.2020 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत निदेशालय, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना के दोनों प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि **उक्त निदेशालय द्वारा स्थल निरीक्षणोपरान्त मे0 चंदा आयुर्वेदिक फार्मेसी प्राईवेट लि0, जहानाबाद में कुल 9 त्रुटियां पायी गयी। उन त्रुटियों के आलोक में औषधि एवं अंगराज अधिनियम, 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 159 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चंदा आयुर्वेदिक फार्मेसी प्राईवेट लिमिटेड की अनज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया तथा उन्हे उक्त अनुज्ञप्ति के अंतर्गत औषधियों के निर्माण, बिक्री, वितरण एवं व्यापार करने से रोक दिया गया।**

परिवादी अनवर हुसैन द्वारा राज्य आयोग को सूचित किया गया है कि मे0 चंदा आयुर्वेदिक फार्मेसी प्राईवेट लि0, जहानाबाद के अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द करने के बावजूद उनके द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से अवैध औषधियों का निर्माण व व्यापार किया जा रहा है।

परिवादी के उपरोक्त सूचना पर पुनः निदेशालय, औषधि नियंत्रण प्रशासन, बिहार, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त निदेशालय के निर्देश पर दिनांक 04.06.2020 को औषधि निरीक्षक, जहानाबाद–1 व सहायक औषधि नियंत्रक, जहानाबाद द्वारा स्थल सत्यापन किया गया। स्थल सत्यपणोपरान्त उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि स्थल पर किसी भी प्रकार के औषधि के निर्माण से संबंधित उन्हें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है तथा निरीक्षण के क्रम में परित्यक्त एवं unstalled & Non functional उपकरण रखा पाया गया है। जांच प्रतिवेदनानुसार अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद किसी भी प्रकार का औषधि निर्माण नहीं किया जाना पाया गया है। बाजार में मे0 चंदा आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से जो भी दवा निर्माण हो रहा है वह नकली एवं गैर–कानूनी है। औषधि निरीक्षक, जहानाबाद द्वारा मे0 बिहार शू–स्टोर, जहानाबाद के पीछे के कमरे में बरामद अवैध औषधियों के बिक्री करने के आरोप में एक मो0 नवाब के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करने हेतु जहानाबाद थाना को लिखित आवेदन दिया गया है।

अब, जबकि संबंधित प्राधिकार द्वारा परिवादी के परिवाद–पत्र के आलोक में विधिनुसार कार्रवाई की जा चुकी है या की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित प्राधिकार के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर निदेशालय, औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ निदेशालय, औषधि नियंत्रण प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रतिवेदन (पृ0–58–41/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>